न्यायालय–अवर न्यायाधीश प्रथम, डुमरॉव

विविध वाद सं0 84 / 2018

बृजराज सिंह .....आवेदक।

बनाम्

बबन राय वगै0..... विपक्षीगण।

आदेश

06.05.2023 उभय पक्षों की पैरवी है। अभिलेख आज आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। विपक्षीगण के तरफ से दिनांक– 01.04.2023 को दाखिल आवेदन में विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी सं0 1,3 वो 4 दिनांक– 04.05.2019 को हाजिर हुये थे तथा दिनांक– 06.03.2021 को आवेदक की गवाही हुई थी तथा दिनांक– 06.03.2021 को ही आवेदक का साक्ष्य बंद किया गया। आवेदक की गवाही बंद होने के बाद आवेदकगण का गवाही देना था, परन्तु विपक्षी की न तो गवाही हेतुं चला और न तो विपक्षी की गवाही बंद किया गया, ऐसी स्थिति में मन प्रार्थी को गवाही हेतु एक मौका मिलना न्यायहित में जरूरी है तथा दिनांक– 04.03.2023 को मुकदमा को आदेश में रखा गया तथा दिनांक– 04.03.2023 के आदेश को रिकौल कर आवेदकगण को उक्त विविध वाद में गवाही देकर कन्टेस्ट करने का मौका मिलना न्यायहित में जरूरी है। विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता अनुरोध करते हैं कि दिनांक– 04.03.2023 के आदेश को रिकौल कर विपक्षी को गवाही देने का मौका दिया जाये।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता दिनांक– 15.04.2023 को उपस्थित होकर यह कथन करते हैं कि उन्हें प्रतिउत्तर दाखिल करने में कोई रूचि नहीं है। उभय पक्षों को पूर्व में सुना जा चुका है। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक– 04.05.2010 को विपक्षी सं0 1, 3 एवं4 उपस्थित हुये। दिनांक– 06.03.2021 को आवेदक के अनुरोध पर आवेदक का साक्ष्य बंद कर दिया गया है तथा अभिलेख वास्ते सुनवाई पर निर्धारित किया । विपक्षी द्वारा यह आवेदन कुछ विलम्ब से दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में विपक्षी का आवेदन दिनांक– 01.04.2023 को मो0 पांच सौ रूपये के खर्चे पर स्वीकृत किया जाता है तथा आदेश दिनांक– 04.03.2023 को रिकौल करते हुये

<u>लगातार</u>
06.05.2023
अभिलेख वास्ते विपक्षी साक्ष्य हेतु निर्धारित किया जाता है। विपक्षी खर्चे की अदायगी के पश्चात अपना साक्ष्य प्रस्तुत करें।

दिनांक– 17.06.2023 वास्ते विपक्षी साक्ष्य।

लेखापित

ह0/–

(अखिलेश कुमार पाण्डेय)

सब जज प्रथम, डुमरॉव ।